न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी का नाम :— सुशील कुमार (I.A.S)

मुकदमा नम्बर :— 1/2019

किस्म मुकदमा :— अपील

दायर दिनांक :— 25.01.2019

अनवान

1. श्री भूरालाल पिता भज्जा गुर्जर निवासी धनवल (चोरा वाला) तहसील व जिला राजसमन्द।

....................अपीलार्थी

बनाम

1. श्री बंशीलाल पिता भूरा गुर्जर निवासी धनवल तहसील व जिला राजसमन्द।
2. श्री छोगालाल पिता भूरा गुर्जर निवासी धनवल तहसील व जिला राजसमन्द।
3. श्रीमती कमला पुत्री भूरा पत्नि उंकार गुर्जर निवासी धनवल तहसील व जिला राजसमन्द।
4. ग्राम पंचायत फरारा जरिये ग्राम पंचायत फरारा तहसील व जिला राजसमन्द।

......................रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 695 फैसल दिनांक 05.02.2008 ग्राम पंचायत फरारा

उपस्थित

वकील अपीलार्थी :— श्री जगदीश पुरोहित

वकील विपक्षीगण :— श्री गणेश गुर्जर

निर्णय

निर्णय दिनांक 03.01.2020

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपील विरूद्ध ग्राम धनवल के नामान्तरकरण संख्या 695 निर्णय दिनांक 05.02.2008 ग्राम पंचायत फरारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम धनवल पटवार हल्का कानादेव गुड़ा तहसील राजसमन्द में स्थित आराजी नम्बर 2207/ 2160 रकबा 4—09 बीघा कृषि भूमि अपीलार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य की है, अपीलार्थी के गांव के ही विपक्षी संख्या 1 से 3 के पिता भूरा पिता भज्जा गुर्जर के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अलग से कृषि भूमियॉ थी वर्ष 2008 में भूरा पिता भज्जा गुर्जर की मृत्यु हो गई जिसकी मृत्यु के बाद पटवारी हल्का द्वारा उक्त मृतक के वारिसों के नाम नामान्तरकरण संख्या 695 दिनांक 01.02.2008 को खोल विरासत से दर्ज किया गया विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम पर जो नामान्तरकरण संख्या 695 खोला गया उसमें पटवारी हल्का ने कोई विशेष जॉच पडताल किये बिना मृतक की जमीन के साथ अपीलार्थी की वादग्रस्त भूमि आराजी संख्या 2207/2160 का नामान्तरकरण भी विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम खोल दिया जबकि अपीलार्थी अभी तक जिन्दा है ओर राजस्व रिकॉर्ड में उक्त जमीन में जमाबन्दी संवत् 2044 से 2047 मे अपीलार्थी का नाम स्पष्टरूप से दर्ज हो रखा है अतः अपीलार्थी की उक्त कृषि भूमि में विपक्षी संख्या 1 से 3 नाम खोला गया नामान्तरकरण अवैध व शुन्य है। अपीलार्थी को जब पता चला की उक्त आराजी संख्या 2207/2160 विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज हो गई तब पटवारी हल्का से जानकारी चाही तब पटवारी हल्का ने कहा कि मृतक व अपीलार्थी का नाम एक होने से ऐसा हो गया, उक्त नामान्तरण संख्या 695 के अस्तित्व मे रहते हुऐं अपीलार्थी के हक अधिकारो पर विपरित प्रभाव पड़ेगा व अपने स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि से हमेशा हमेशा के लिए वंचित हो जायेगा। अतः अपीलार्थी की अपील विरूद्ध

नामान्तरण संख्या 695 फैसल दिनांक 05.02.2008 ग्राम पंचायत फरारा स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरण संख्या 695 को निरस्त करते हुए ग्राम धनवल का आराजी संख्या 2207/2160 रकबा 4–09 बीघा भूमि अपीलार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड किये जाने के आदेश फरमावें।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये व अपीलार्थी के निवेदन पर तहसीलदार राजसमन्द से भी तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई नोटिस जारी होने के उपरान्त विपक्षी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री गणेश गुर्जर उपस्थित हुए।

विपक्षीगण 1 से 3 ने जवाब प्रस्तुत नही कर विपक्षीगण के अधिवक्ता ने ग्राम धनवल के नामान्तरकरण संख्या 695 के निरस्तीकरण बाबत् सहमति प्रकट की तहसीलदार राजसमन्द ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि ग्राम धनवल में भूरा पिता भज्जा गुर्जर नाम से दो व्यक्ति है जिसमें से एक भूरा पिता भज्जा गुर्जर की मृत्यु 2008 में हो गई जबकि दूसरा भूरा पिता भज्जा गुर्जर जिन्हे चोरा वाला के नाम से जाना जाता है वो अब तक जीवित है, वक्त विरासत के नामान्तरकरण संख्या 695 एक खाता आराजी नम्बर 2207/2160 रकबा 4–09 बीघा जो कि भूरा पिता भज्जा गुर्जर चोरा वाला के नाम था में भी विरासत हो गई नामान्तरकरण संख्या 695 में आराजी नम्बर 2207/2160 में की गई विरासत गलत हुई है क्योंकि भूरा पिता भज्जा गुर्जर चोरा वाला जीवित है उक्त नामान्तरकरण संख्या 695 में आराजी नम्बर 2207/2160 में की गई विरासत को निरस्त कर पुनः भूरा पिता भज्जा गुर्जर चोरा वाला के नाम दर्ज किया जाता है तो वर्तमान में दर्ज खातेदारान को कोई आपत्ति नही है तथा वर्तमान में उक्त आराजी नम्बर 2207/2160 पर मौके पर कब्जा काश्त भी भूरा पिता भज्जा गुर्जर चोरा वाला का ही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज की जमाबन्दी संवत् 2044 से 2047 के अनुसार ग्राम धनवल का आराजी नम्बर 2207/2160 रकबा 4–09 बीघा भूमि अपीलार्थी भूरा पिता भज्जा गुर्जर चोरा वाला के नाम दर्ज था, दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार वादग्रस्त भूमि अपीलार्थी की होना सिद्ध होती है, अतः तहसीलदार राजसमन्द द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अपीलार्थी की अपील विरूद्ध ग्राम धनवल का नामान्तरण संख्या 695 फैसल दिनांक 05.02.2008 ग्राम पंचायत फरारा स्वीकार की जाकर तहसीलदार राजसमन्द को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम धनवल पटवार मण्डल कानादेव का गुड़ा तहसील राजसमन्द के नामान्तरकरण संख्या 695 में वर्णित आराजी नम्बर 2207/2160 रकबा 4–09 बीघा भूमि में विपक्षीगण 1 से 3 के नाम निरस्त करते हुए अपीलार्थी का नाम पुनः दर्ज किया जावें व इस आशय का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में किया जावे शेष नामान्तरकरण यथावत रखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(सुशील कुमार I.A.S)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
राजसमन्द

उक्त आदेश आज दिनांक 03.01.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की गोल मोहर से जारी किया गया।

(सुशील कुमार I.A.S)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
राजसमन्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar
Date: 2020.01.23 15:33:26 IST
Reason: SelfAttested
Location: